राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग
प्रेस कांफ्रेंस दिनांक 26.11.2025

- **<u>सामान्य जानकारी</u>:-** अनुविभाग-117, तहसील-251, राजस्व निरीक्षक मंडल-793 पटवारी हल्के-5828, कुल ग्राम-20551, कुल खसरे- 2,51,72,936

- **<u>नागरिक सुविधायें:-</u>**

  - ई-कोर्ट के माध्यम से सम्पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पक्षकारो हेतु ऑनलाइन अवलोकन हेतु उपलब्ध|
  - खसरा एव बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त निःशुल्क प्रतिलिपि ऑनलाईन प्राप्ति|
  - पंजीकृत मोबाईल न. में SMS के माध्यम से भू–अभिलेखों में परिवर्तन की सूचना|
  - भू–अभिलेखों तक आसान पहुँच हेतु एंड्राइड एप्प, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध|
  - भू नक्शा के माध्यम से नागरिको ऑनलाइन नक्शा देखने की सुविधा|
  - ऑनलाइन माध्यम से नामांतरण हेतु आवेदन|

- **<u>AGRISTACK:-</u>**

  - केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत **26,000,00** कृषकों का सत्यापन कर फार्मर आई.डी. तैयार किया जा चुका है।
  - खरीफ सीजन 2025-26 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण(DCS) अंतर्गत 33 जिलों के कुल 14066 ग्रामों में दिनांक 15 अगस्त, 2025 से प्रारंभ किया जा कर सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया है। जिसमें कुल 58335 ग्रामीण बेरोजगार युवकों को सर्वेयर के रूप में रोजगार मिला व उनको लगभग 12 करोड़ की राशि प्राप्त होगी| अब साल में 2 बार (खरीफ & रबी) में DCS अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा |
  - Toll Free Number – 1800-233-1030

- **<u>स्वामित्व योजना:-</u>(SVAMITVA)**

  स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उसकी ग्राम की आबादी भूमि अंतर्गत अधिकार अभिलेख प्रदान किया जा रहा है|
  इसके अंतर्गत कुल 10 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे|
  सर्वेक्षित ग्राम– 15,950, लक्षित परिवार/व्यक्ति– लगभग 10,00,000
  निर्मित अधिकार अभिलेख - 1,92,784, अब तक लाभान्वित हितग्राही - 1,60,000

- **<u>दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजूदर कल्याण योजना</u>**

- भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुध्द आय में वृद्धि कर उन्हे आर्थिक रूप से संबल प्रदाय करने के उद्देश्य से ''दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजूदर कल्याण योजना'' वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ की गई। योजना अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष राशि रूपये 10,000/ की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,62,112 हितग्राहियों में से समस्त हितग्राहियों को 562 करोड़ रूपये सीधे उनके खाते में अंतरित किया गया है।

- **<u>राज्य आपदा प्रबंधन</u>**

- **राज्य आपदा मोचन निधि –** प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 321.46 करोड़ एवं 2025-26 में रूपये 252.38 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी|
- **राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि –** संरचनात्मक एवं असंरचनात्मक कार्यो के लिए इस वित्तीय वर्ष में 488 कार्यो हेतु 76.85 करोड़ का आबंटन|
- **युवा आपदा मित्र योजना –** लगभग 3000 आपदा मित्रो का चयन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं|
- **इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम –** आपदा के समय जन सामान्य को तुरंत सहायता उपलब्ध करने टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया हैं|

➢ <u>अन्य महत्वपूर्ण विषय</u>

- **भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण -** 20551 ग्रामों के खसरा एवं 19692 ग्रामों के नक्शों का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण|

- **तहसील कार्यालयों में मॉडर्न रिकार्ड रूम –** कुल 155 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण पूर्ण |
- **लोक सेवा गारंटी अधिनियम** – इसके अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को त्वरित रूप से उपलब्ध करवाने हेतु समय सीमा कम की गयी है|
- **ई-गजट –** राजपत्रो का प्रकाशन भौतिक रूप से मुद्रण न किया जाकर इन्टरनेट के माध्यम से निरंतर एवं त्वरित रूप से किया जा रहा हैं, जिससे प्रत्येक विभाग एवं आम जनता को राजपत्र की प्रतिया इन्टरनेट के माध्यम से तत्काल उपलब्ध हो रही हैं|
- **ई-कोर्ट –** राजस्व न्यायालयों में प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन पंजीयन, हितबद्ध पक्षकारों को SMS के माध्यम से परिवर्तन की सूचना|
- **स्वतः भूमि व्यपवर्तन-** भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल करते हुए Auto Diversion की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है।जिससे 15 दिनों में डायवर्सन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी|

➢ **आगामी 3 वर्षों हेतु कार्य योजना**

- **डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका-** इसके अंतर्गत आगामी दिनों में भुइया में घर बैठे खसरों के साथ साथ डिजिटल हस्ताक्षरित ऋण पुस्तिका भी जनता के लिए निशुल्क उपलब्ध होगा|
- **डिजिटल तहसील-** इसके अंतर्गत समस्त तहसील सुनवाई ऑनलाइन प्रकरणों का निबटारा ऑनलाइन किया जायेगा, जिस हेतु खाताधारकों को तहसील कार्यालय या पटवारी के पास जाने की जरुरत नहीं होगी|
- **मोबाइल पर भू-अभिलेखों आदि की प्राप्ति-** आगामी दिनों में खाताधारकों के मोबाइल पर खसरा आदि की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी|
- **RBC 6(4)-** आगामी दिनों में प्राकृतिक आपदा से सम्बंधित प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण कर पीड़ितों को सहायता राशि सीधे उनके खाते में प्रदान किया जाएगा|
- **कोर्ट केस में आदेश के साथ साथ रिकॉर्ड में संशोधन -** जिससे लोगों को रिकॉर्ड सुधार के लिए अब पटवारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा|
- **खसरों का आधार ऑथेंटिकेशन-** खसरों का आधार ऑथेंटिकेशन, जिससे बिना खातेदार को सूचित किए Record में संशोधन नहीं किया जा सकेगा|

- **अपील के केसों का अब जिला में ही निराकरण-** SDM के आदेश की अपील अब जिला स्तर पर| संभाग मुख्यालय तक जाने में होने वाली असुविधा से बचाव|
- **सम्पूर्ण राज्य में राजस्व पुनःसर्वेक्षण का कार्य –** प्रथम चरण में 50 ग्राम रिसर्वे कार्य हेतु चयनित|
- **असर्वेक्षित ग्रामो का सर्वेक्षण –** राज्य के 1090 असर्वेक्षित ग्रामो में से 717 ग्रामो का फील्ड सर्वे कार्य पूर्ण| शेष ग्रामो का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करना|
- **नक्शा प्रोजेक्ट** (NAtional geospatial Knowledge-based land Survey of urban HAbitations) **–** शहरी भूमिका त्रुटिरहित एवं अद्यतन अभिलेख जिससे बेहतर नगरीय नियोजन संभव हो सके।
- **ई-धरती** – नजूल एवं परिवर्तित भूमि संधारण खसरा का कम्प्यूटरीकरण कार्य तथा नजूल/परिवर्तित नक्शा का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण करना।
- **वनीय आग प्रबंधन कार्यक्रम –** केंद्र सरकार के वित्तीय सहायता से प्रमुख वनीय अग्नि दुर्घटना जिलो में वन रक्षको का प्रशिक्षण एवं आवश्यक उपकरण प्रदाय करना|
- **आकाशीय बिजली प्रबंधन कार्यक्रम –** आकाशीय बिजली से बचने हेतु चिन्हांकित जिलो के कुल 20 ग्राम पंचायतो में उपकरण लगाये जायेंगे तथा जन समुदाय को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा|